



जनवरी के महीने में दुनिया के कई भागों में बर्फ गिरती है लेकिन हाल ही में सहारा रेगिस्तान में गिरी बर्फ ने एक बार फिर लोगों को चौंका दिया है। उत्तर पश्चिम अल्पीरिया का एन सैफ़ा शहर तो सोमवार को दिमाण के कारण बर्फ से ढक गया और तापमान माइनस दो डिग्री हो गया। वियालिस सालों में यह पांचवां अवसर है जब इस शहर में बर्फ गिरी है। एन सैफ़ा, जिसे "गोवे टु द डैंजर्ट" भी कहते हैं, समूद्र के स्तर से 1000 मीटर ऊपर है तथा एटलस की पहाड़ियों से घिरा है। उत्तरी अफ्रीका का अधिकांश भाग सहारा रेगिस्तान के दायरे में आता है। गत 500 वर्षों में इस क्षेत्र के तापमान और नमी के स्तर में कई बार बदला हुआ है और सभवतया एक बार फिर यह क्षेत्र ऐसे ही किसी परिवर्तन के द्वारा से युजर रहा प्रतीत होता है। इस माह के आरंभ में कुछ दीर्घी अरेबिया के उत्तर पश्चिमी शहर तबक्क में भी बारिश और हिमपात हुआ था तथा जबाल अल लाज पहाड़ी का शिखर पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था।

करोना वायरस, चेचक की भाँति गायब नहीं होगा

वाइट हाऊस के स्वास्थ्य सलाहकार डॉ. एंथनी फाउची ने कहा, अब तक मानव जाति केवल एक संक्रामक वायरस, चेचक को ही सदा के लिये हरा पायी है, पर करोना वायरस के साथ ऐसा होता नहीं दिखता

-सुरुमारा साह-

नई दिल्ली, 19 जनवरी। बर्ड हैल्थ अॅग्रानाइजेशन (ब्ल्यू-एच-ओ) महानिदेश टैक्सास एवनार्म गैरेजेस का कहता है: लगाता है कि कुछ देशों में कोविड-19 के केसों पर पहुंच गए हैं, जिससे यह उम्मीद बढ़ी है कि संक्रमण की इस नवीनतम लहर का सबसे बुरा समय युजर चुका है, लेकिन कोई भी देश अभी इसकी अनिश्चितताओं से बाहर नहीं निकला है।

वाइट हाऊस के शीर्ष मैडिकल सलाहकार डॉ. एंटनी फाउची कहते हैं कि "करोना वायरस की वैज्ञानिक महामारी का खाता इस वायरस के उम्मूलून से नहीं होता। इसके बजाए इस वायरस का अपेक्षित एक कम खतरनाक स्ट्रेन किसी

डल्यू-एच-ओ के प्रमुख गेलिप्सस ने भी डॉ. फाउची के विचारों का समर्थन किया कि, करोना वायरस का खतरा अभी बरकरार है, शायद कभी खत्म नहीं होगा। डॉ. फाउची का यह भी कहना है कि, दुनिया के वैज्ञानिक अभी कुछ नहीं कह सकते कि, करोना वायरस का भविष्य क्या होगा और हमें करोना वायरस के बारे में अज्ञानता को स्वीकार करना चाहिये।

वैक्सिनेशन, ओमक्रॉन के इलाज के रूप में उतना सफल न हो जितना कि करोना वायरस के मामले में हुआ था, पर वैक्सिनेशन गंभीर बीमारी और अन्तर्रोगता मृत्यु को रोकने में जरूर कामयाब होता है।

क्षेत्र विशेष को अपनी गिरफ्त में लेगा।" आमक और इसकी गंभीर प्रकृति का टैक्सास कहते हैं कि "ओमक्रॉन अंदाज ना लगाने वाली हो सकती है औसतन एक कम खतरनाक वायरस है, तथा ऐसा मानने से और लोगों की जान लेकिन इसके संक्रमण से होने वाली जा सकती है।"

फाउची कहते हैं कि "यदि आप

संक्रामक रोगों के इतिहास पर गौर करें तो हमने अब तक मृत्यु के एक ही संक्रामक रोग का खाता किया है और वह है सॉलैं पॉक्स। ऐसा इस वायरस के साथ नहीं होने वाला है।"

यह उन हस्तियों के विचार हैं जो वैज्ञानिक जान और विशेषज्ञता के आधार पर बात करते हैं।

अतः ऐसे अनिश्चित लोग, यह मानते हैं कि ओमक्रॉन हमें लापरवाही बरकरारी की अनुशुल्क देता है, वे सावधान न हो जाएं।

बर्लिं इको-ऐप्लिकेशन के फोरम के दोसों एजेण्डा में बोलते हुए डॉ. फाउची ने इस पर जर दिया कि वैज्ञानिक यह नहीं जानते कि वास्तव में यह वैश्विक महामारी का खाता होगा और इसकी गंभीरता के प्रति सावधान होना महत्वपूर्ण है।" तथापि किसी क्षेत्र विशेष

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कथित रूप से कुछ किसानों को अपनी कार से कुचल दिया था तथा वे इस समय वह जेल में है तथा वृक्ष रुपांगी किसानों में मुख्यरूप से उनके बालों में खड़ा हो रहे थे।

स्टर्टर्स प्रत्यक्ष विशेषज्ञ, अन्यरूप से उनके बालों में खड़ा हो रहा था।

हाईकोर्ट जज पुष्टे नियंत्रित करने के बालों में खड़ा हो रहा था।

जज भाटी ने कहा कि, बूढ़े माता-पिता की जिम्मेदारी बेटे व बेटी की एक समान होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या नहीं। ऐसे में पिता के स्थान पर मुक्त का अधिकार मान नौकरी देने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

जज भाटी ने कहा कि, बूढ़े माता-पिता की जिम्मेदारी बेटे व बेटी की एक समान होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या नहीं। ऐसे में पिता के स्थान पर मुक्त का अधिकार मान नौकरी देने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

जज भाटी ने कहा कि, बूढ़े माता-पिता की जिम्मेदारी बेटे व बेटी की एक समान होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या नहीं। ऐसे में पिता के स्थान पर मुक्त का अधिकार मान नौकरी देने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

जज भाटी ने कहा कि, बूढ़े माता-पिता की जिम्मेदारी बेटे व बेटी की एक समान होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या नहीं। ऐसे में पिता के स्थान पर मुक्त का अधिकार मान नौकरी देने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

जज भाटी ने कहा कि, बूढ़े माता-पिता की जिम्मेदारी बेटे व बेटी की एक समान होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या नहीं। ऐसे में पिता के स्थान पर मुक्त का अधिकार मान नौकरी देने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

जज भाटी ने कहा कि, बूढ़े माता-पिता की जिम्मेदारी बेटे व बेटी की एक समान होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या नहीं। ऐसे में पिता के स्थान पर मुक्त का अधिकार मान नौकरी देने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

जज भाटी ने कहा कि, बूढ़े माता-पिता की जिम्मेदारी बेटे व बेटी की एक समान होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या नहीं। ऐसे में पिता के स्थान पर मुक्त का अधिकार मान नौकरी देने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

जज भाटी ने कहा कि, बूढ़े माता-पिता की जिम्मेदारी बेटे व बेटी की एक समान होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या नहीं। ऐसे में पिता के स्थान पर मुक्त का अधिकार मान नौकरी देने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

जज भाटी ने कहा कि, बूढ़े माता-पिता की जिम्मेदारी बेटे व बेटी की एक समान होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या नहीं। ऐसे में पिता के स्थान पर मुक्त का अधिकार मान नौकरी देने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

जज भाटी ने कहा कि, बूढ़े माता-पिता की जिम्मेदारी बेटे व बेटी की एक समान होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या नहीं। ऐसे में पिता के स्थान पर मुक्त का अधिकार मान नौकरी देने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

जज भाटी ने कहा कि, बूढ़े माता-पिता की जिम्मेदारी बेटे व बेटी की एक समान होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या नहीं। ऐसे में पिता के स्थान पर मुक्त का अधिकार मान नौकरी देने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

जज भाटी ने कहा कि, बूढ़े माता-पिता की जिम्मेदारी बेटे व बेटी की एक समान होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या नहीं। ऐसे में पिता के स्थान पर मुक्त का अधिकार मान नौकरी देने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

जज भाटी ने कहा कि, बूढ़े माता-पिता की जिम्मेदारी बेटे व बेटी की एक समान होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या नहीं। ऐसे में पिता के स्थान पर मुक्त का अधिकार मान नौकरी देने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

जज भाटी ने कहा कि, बूढ़े माता-पिता की जिम्मेदारी बेटे व बेटी की एक समान होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या नहीं। ऐसे में पिता के स्थान पर मुक्त का अधिकार मान नौकरी देने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

जज भाटी ने कहा कि, बूढ़े माता-पिता की जिम्मेदारी बेटे व बेटी की एक समान होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या नहीं। ऐसे में पिता के स्थान पर मुक्त का अधिकार मान नौकरी देने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

जज भ

କୁଳାଳ ପାଇଁ ଜୀବିତ କରନ୍ତୁ

अपनी पसंदीदा मारति सुजुकी एरिना कार आज ही घर ले आएँ.



କେତେ କାହାର ପାଇଁ କାହାର
କାହାର ପାଇଁ କାହାର |

ALTO ₹33 100* **SWIFT** ₹28 100*
S-PRESSO ₹33 100* **BREZZA** ₹18 000*

WAGONR ₹28 100*
DZIRE ₹23 500*

XXAGONR AUTO **S.PRESSO** **VITARA BREZZA DZIRE SWIFT CELERIO**

For bulk orders, mail at: ankit.syal@maruti.co.in